

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 6/सि.सू.मा.धो.पु. 1958-89

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन्द्रा गाँधी स्मृति
शिक्षण संस्थान सूरीठ जिला सिकंदरगढ़ का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
क दस माह मार्च सन् एक हजार नौ सौ पचासी को

सूरीठ में दिया गया।



1000

रजिस्ट्रार संस्थान
सिकंदरगढ़ उदयपुर